

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय/2016


जयपुर, दिनांक: 30.6.17

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 की अनुसूची एवं प्रतिस्थापित कार्मिक क-2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2017 के द्वारा संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में संशोधन कर दिनांक 01.04.2016 से लागू किया गया है। इस कारण से राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2016-17 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2017 को आयोजित की गई। पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	लोकेश कुमार तिवाड़ी	01.04.2016
2.	समरथ मल साहू	01.04.2016
3.	इन्द्र प्रकाश जैन	01.04.2016
4.	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	01.04.2016
5.	मुरलीधर भारद्वाज	01.04.2016
6.	डॉ. आशा गोयल	01.04.2016
7.	रामबाबू गुप्ता	01.04.2016
8.	पुरुषोत्तम लाल शर्मा	01.04.2016
9.	प्रभु सिंह	01.04.2016
10.	हजारी राम ज्याणी	01.04.2016
11.	राजेन्द्र सिंह प्रथम	01.04.2016
12.	अनिल कुमार गुप्ता	01.04.2016

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव